

पत्र संख्या-01/सम0निर्वा0-73/2010परि0...../

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार प्रसाद,
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला पदाधिकारी ।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक-

विषय:-

बिहार विधान सभा निर्वाचन, 2015 के सफल एवं निर्बाध संचालन हेतु वाहनों के अधिग्रहण एवं परिचालन में निर्वाचन विभाग के Vehicle Management System (VMS) एवं परिवहन विभाग से निर्गत मार्गदर्शिका का अनुपालन करने के संबंध में ।

प्रसंग:-

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का पत्र सं0-4622 दिनांक-14.09.2015 एवं परिवहन विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-1/सम0निर्वा0-73/2010-4550 दिनांक-11.09.2015 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में कहना है कि बिहार विधान सभा आम निर्वाचन के अवसर पर निर्वाचन कार्य हेतु उपयोग में लाय जाने वाले वाहनों के परिचालन इत्यादि हेतु निर्वाचन विभाग के वेबसाइट <http://ceohihar.nic.in> के DEO's Portal में जाकर Vehicle Management System के District Profile में विभिन्न प्रकार के ऑकड़े की प्रविष्टि किया जाना है जिसका उल्लेख निर्वाचन विभाग के पत्र संख्या-4622 दिनांक-14.09.2015 की कंडिका-(iii) एवं (v) में वर्णित है ।

Vehicle Management System के अनुश्रवण से विदित होता है कि मात्र दो या तीन जिलों द्वारा ही ऑकड़ों की प्रविष्टि की गई है ।

अतः अनुरोध है कि निर्वाचन विभाग की मार्गदर्शिका में दिए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- 4608

/ पटना, दिनांक-16/09/2015

प्रतिलिपि:- कम्प्यूटर कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।